COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 21)

[31 जुलाई, 2019]

कारबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों से भिन्न अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 21 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "समुचित सरकार" से,—

(i) विधान-मंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है;

(iii) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है;

(iv) राज्य से संबंधित मामलों की बाबत राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(2) "कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में उसका है; 2013 का 18

(3) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 7 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(4) "निक्षेप" से किसी निक्षेप लेने वाले के द्वारा ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी फायदे सहित या उसके बिना चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् या अन्यथा या तो नकद या वस्तु रूप में या किसी विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में या तो वापस करने के वचन के साथ अग्रिम या ऋण के माध्यम से या किसी अन्य रूप में प्राप्त धन की रकम अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंककारी कंपनी से ऋण के रूप में प्राप्त रकमें; 1949 का 10

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित लोक वित्तीय संस्थाओं से या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में यथा परिभाषित किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत है, से या किन्हीं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं या बीमा कंपनियों से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त रकमें; 1934 का 2

(ग) समुचित सरकार से प्राप्त रकमें या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ऐसी रकम, जिसका प्रतिसंदाय समुचित सरकार द्वारा प्रत्याभूत है या संसद् अथवा किसी राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त कोई रकम;

(घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन विदेशी सरकारों, विदेशी या अंतरराष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी निर्यात प्रत्यय सहयोगकारों, विदेशी निगमित निकायों, विदेशी नागरिकों, विदेशी प्राधिकारियों या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों से प्राप्त रकमें; 1999 का 42

(ङ) किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा पूंजी के मद्दे अभिदायों के माध्यम से प्राप्त रकमें;

(च) किसी व्यष्टि द्वारा उसके नातेदारों से ऋण के माध्यम से प्राप्त रकमें या किसी फर्म द्वारा उसके किसी भागीदार के नातेदारों से ऋण के माध्यम से प्राप्त रकमें;

(छ) किसी संपत्ति (चाहे जंगम हो या स्थावर हो) के विक्रय पर किसी विक्रेता से किसी क्रेता द्वारा प्रत्यय के रूप में प्राप्त रकमें;

(ज) किसी ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत है, प्राप्त रकमें; 2002 का 54

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(झ) धारा 34 के अधीन किया गया कोई भी निक्षेप या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,
1951 का 43 1951 की धारा 29ख के अधीन किसी राजनीतिक दल द्वारा स्वीकार की गई रकम;

(ञ) ऐसी अधिकतम सीमाओं के भीतर, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रचालन करने वाले स्वसहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया गया कोई भी आवधिक संदाय;

(ट) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी अधिकतम सीमाओं के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, संगृहीत कोई अन्य रकम;

(ठ) कारबार और ऐसे कारबार से वास्तविक संबंध रखने के दौरान या कारबार के प्रयोजन के लिए प्राप्त रकम, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:—

(i) माल की पूर्ति या भाड़े पर देने या सेवाएं प्रदान करने और जो माल या सेवाओं के वास्तव में नहीं बेचे जाने, भाड़े पर नहीं देने या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराने की दशा में प्रतिसंदेय है, के लिए संदाय, अग्रिम या भागत: संदाय;

(ii) किसी करार या ठहराव के अधीन किसी स्थावर संपत्ति के प्रतिफल के संबंध में ऐसी शर्त के अध्यधीन प्राप्त अग्रिम, कि ऐसा अग्रिम करार या ठहराव के निबंधनों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी स्थावर संपत्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है;

(iii) माल की पूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा के पालन के लिए जमा की गई प्रतिभूति या डीलरशिप; या

(iv) पूंजी माल की पूर्ति के लिए उनके सिवाय, जो मद (ii) में विनिर्दिष्ट हैं, दीर्घकालीन परियोजनाओं के अधीन अग्रिम:

परंतु यदि मद (i) से (iv) के अधीन प्राप्त रकमें प्रतिदेय हो जाती हैं, तो ऐसी रकमों का उस तारीख से, जिसको वे प्रतिदाय के लिए शोध्य हो जाती हैं, पन्द्रह दिन की समाप्ति पर निक्षेप समझा जाएगा:

परंतु यह और कि जहां उक्त रकमें निक्षेप लेने वाले के द्वारा माल या संपत्तियों या सेवाओं के संबंध में, जिसके लिए धन लिया गया है, तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुज्ञा या अनुमोदन, जहां-कहीं अपेक्षित हो, अभिप्राप्त नहीं करने के कारण प्रतिदेय हो जाती हैं, वहां ऐसी रकमों को निक्षेप समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी कंपनी की बाबत "निक्षेप" पद का अर्थ वही होगा, जो कंपनी
2013 का 18 अधिनियम, 2013 में है;

1934 का 2 (ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की बाबत "निक्षेप" पद का अर्थ वही होगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 45झ के खंड (खख) में है;

(iii) "भागीदार" और "फर्म" पदों के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय भागीदारी
1932 का 9 अधिनियम, 1932 में क्रमश: उनके हैं;

(iv) किसी सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत "भागीदार" पद का अर्थ
2009 का 6 वही होगा, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) में है;

2013 का 18 (v) "नातेदार" पद का अर्थ वही होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में है;

(5) "निक्षेपकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कोई निक्षेप करता है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(6) ''निक्षेप लेने वाले'' से निक्षेप प्राप्त करने वाला या उसकी याचना करने वाला—

(i) कोई भी व्यष्टि या व्यष्टियों का समूह;

(ii) कोई स्वत्वधारी समुत्थान;

(iii) कोई भागीदारी फर्म (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं);

(iv) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी; 2009 का 6

(v) कोई कंपनी;

(vi) व्यक्तियों का कोई संगम;

(vii) कोई न्यास (जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के उपबंधों के अधीन शासित कोई प्राइवेट न्यास है या कोई पब्लिक न्यास है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं); 1882 का 2

(viii) कोई सहकारी सोसाइटी या कोई बहुराज्यिक सहकारी सोसाइटी; या

(ix) कोई अन्य ठहराव, किसी भी प्रकृति का हो, अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम के अधीन निगमित कोई निगम;

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी, कोई तत्स्थानी नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोई समनुषंगी बैंक, कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोई सहकारी बैंक या कोई बहुराज्यिक सहकारी बैंक; 1949 का 10

(7) ''अभिहित न्यायालय'' से धारा 8 के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है;

(8) ''बीमाकर्ता'' का वही अर्थ होगा, जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (9) में है; 1938 का 4

(9) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है तथा ''अधिसूचित करना'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(10) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई न्यास;

(v) कोई भागीदारी फर्म;

(vi) सीमित दायित्व भागीदारी;

(vii) व्यक्तियों का कोई संगम;

(viii) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी; या

(ix) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के भीतर नहीं आता है;

(11) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(12) ''संपत्ति'' से हर भांति की कोई भी संपत्ति या आस्ति अभिप्रेत है, चाहे जड़ हो या चेतन, जंगम हो या स्थावर, मूर्त या अमूर्त और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति या आस्ति, जहां-कहीं भी स्थित हो, में हक या हित दर्शाने वाले विलेख और लिखित भी हैं;

2013 का 18 (13) ''लोक वित्तीय संस्था'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (72) में है;

(14) ''विनियमित निक्षेप स्कीम'' से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्कीम अभिप्रेत है;

(15) ''विनियामक'' से पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विनियामक अभिप्रेत है;

(16) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(17) ''अविनियमित निक्षेप स्कीम'' से ऐसी कोई स्कीम या ठहराव अभिप्रेत है, जिसके अधीन किसी निक्षेप लेने वाले के द्वारा कारबार के माध्यम से निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं या उनकी याचना की जाती है और जो पहली अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कोई विनियमित निक्षेप स्कीम नहीं है।

अध्याय 2

अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी

अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी।

3. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही—

(क) अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी होगी; और

(ख) कोई भी निक्षेप लेने वाला, किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों में भाग लेने या नामांकन करने या उसे स्वीकार करने की याचना करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोन्नत नहीं करेगा, प्रचालित नहीं करेगा, जारी नहीं करेगा।

विनियमित निक्षेप स्कीमों में कपटपूर्ण व्यतिक्रम।

4. किसी विनियमित जमा स्कीम के अनुसरण में कोई भी निक्षेप लेने वाला निक्षेप स्वीकार करते समय निक्षेप की परिपक्वता पर उसको प्रतिसंदत्त या वापस करने में या ऐसे निक्षेप के बारे मे वचन में दी गई किसी विनिर्दिष्ट सेवा को देने में कोई भी कपटपूर्ण व्यतिक्रम नहीं करेगा।

अविनियमित जमा स्कीमों के संबंध में सदोष उत्प्रेरण।

5. कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी भी अविनियमित निक्षेप स्कीम में विनिधान करने या उसका सदस्य अथवा सहभागी बनने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए जानते हुए ऐसा कोई कथन, वचन या भविष्यवाणी नहीं करेगा, जिसके सारवान् तथ्य मिथ्या, प्रवंचक या भ्रामक हों या जानबूझकर कोई भी सारवान् तथ्य नहीं छिपाएगा।

कतिपय स्कीम का अविनियमित निक्षेप स्कीम होना।

1978 का 43 6. इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अधीन पाबंद की गई इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम को इस अधिनियम के अधीन अविनियमित निक्षेप स्कीम होना समझा जाएगा।

अध्याय 3

प्राधिकारी

सक्षम प्राधिकारी।

7. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न एक या अधिक अधिकारियों को अधिसूचना द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों का इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना और विशिष्टियों के आधार पर, जो विहित की जाएं, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास करने के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा) कि कोई निक्षेप लेने वाला धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेपों की याचना कर रहा है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तारीख से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निक्षेप लेने

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

वाले द्वारा धारित निक्षेपों तथा निक्षेप लेने वाले के नाम से या जमा लेने वाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित धन या अन्य संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास वहीं शक्तियां होंगी, जो अन्वेषण या जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों की बाबत निहित होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) प्रकटन और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना, जिसके अंतर्गत रिपोर्ट करने वाली सत्ता का कोई अधिकारी भी है और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ग) अभिलेखों को पेश करने के लिए विवश करना;

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(5) सक्षम प्राधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी, जिसकी हाजिरी वह इस धारा के अधीन किसी भी अन्वेषण या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए आवश्यक समझता है।

(6) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, स्वयं या ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, जो ऐसा अधिकारी निदेश दे, उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे और किसी ऐसे विषय पर सत्य कथन करने के लिए जिसकी बाबत उनकी परीक्षा की गई है या उन्होंने कथन किए हैं और ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जो अपेक्षित हों, पेश करने के लिए आबद्ध होंगे।

(7) उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। 1860 का 45

(8) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसके समक्ष पेश किए गए किन्हीं अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, अपनी अभिरक्षा में परिबद्ध या प्रतिधारित कर सकेगा:

परंतु उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी—

(क) ऐसे किन्हीं अभिलेखों को परिबद्ध करने के कारणों को लेखबद्ध किए बिना परिबद्ध नहीं करेगा; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना ऐसे किन्हीं अभिलेखों को तीन मास से अधिक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में प्रतिधारित नहीं करेगा।

अभिहित न्यायालय।

8. (1) समुचित सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामले या मामलों के लिए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिहित न्यायालयों के रूप में ज्ञात एक या अधिक न्यायालयों का गठन कर सकेगी, जिसका पीठासीन न्यायाधीश, जिला और सेशन न्यायाधीश या अपर जिला और सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न कोई न्यायाधीश होगा।

(2) अभिहित न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का विचारण कर सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके। 1974 का 2

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 4

निक्षेप लेने वालों पर सूचना

9. (1) केंद्रीय सरकार किसी ऐसे प्राधिकारी को, चाहे विद्यमान हो या जिसका गठन किया जाना हो, पदाभिहित कर सकेगी, जो भारत में प्रचालन कर रहे निक्षेप लेने वालों पर सूचना के लिए आनलाइन डाटाबेस सृजित, अनुरक्षित और प्रचालित करेगा। केंद्रीय डाटाबेस।

(2) उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी, किसी विनियामक या सक्षम प्राधिकारी से निक्षेप लेने वालों पर ऐसी सूचना, जो विहित की जाए, साझा करने की अपेक्षा कर सकेगा।

10. (1) प्रत्येक निक्षेप लेने वाला, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उस रूप में अपना कारबार प्रारंभ करता है या चलाता है, अपने कारबार के बारे में ऐसे रूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना देगा। निक्षेप लेने वाले के द्वारा कारबार की सूचना।

(2) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों की याचना की जा रही है या उनको स्वीकार किया जा रहा है, तो वह किसी निक्षेप लेने वाले को, ऐसा निक्षेप लेने वाले द्वारा प्राप्त निक्षेपों के संबंध में या संबद्ध ऐसे विवरण, सूचना या विशिष्टियां देने का निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(क) उपधारा (1) के अधीन सूचना की अपेक्षा धारा 2 खंड (4) में यथा परिभाषित निक्षेपों को स्वीकार करने या याचना करने वाले निक्षेप लेने वालों को लागू होती है; और

(ख) उपधारा (1) के अधीन सूचना की अपेक्षा कंपनी को लागू होती है, यदि कंपनी, कंपनी
2013 का 18 अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के अधीन निक्षेप स्वीकार करती है।

11. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 29 के अधीन प्राप्त समस्त सूचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ऐसे प्राधिकारी से, जिसे धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित किया जाए, साझा करेगा। सूचना का साझा किया जाना।

(2) समुचित सरकार, कोई भी विनियामक, आय-कर प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए अपराध की बाबत कोई भी सूचना या दस्तावेज रखने वाला कोई भी अन्य अन्वेषण अभिकरण, पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ ऐसी समस्त सूचना या दस्तावेज साझा करेंगे।

(3) जहां किसी बैंककारी कंपनी, किसी तत्स्थानी नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, किसी समनुषंगी बैंक, किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसी सहकारी बैंक या किसी बहुराज्यिक सहकारी बैंक के प्रधान अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई मुवक्किल कोई निक्षेप लेने वाला है और वह इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य कर रहा है, तो वह उसकी सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को देगा।

अध्याय 5

निक्षेपकर्ताओं को वापस करना

12. जैसा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, निक्षेपकर्ताओं के
2002 का 54 2002 या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित है, उसके सिवाय किसी निक्षेप लेने वाले से दावों की पूर्विकता।
2016 का 31 निक्षेपकर्ताओं को देय किसी भी रकम के संदाय को, समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को संदेय, अन्य सभी ऋणों और सभी राजस्वों, करों उपकरों तथा अन्य दरों पर पूर्विकता दी जाएगी।

13. (1) जैसा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, कुर्की को
2002 का 54 2002 या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित है, उसके सिवाय सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अधिमान।
2016 का 31 अनंतिम कुर्की के किसी भी आदेश को समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को संदेय, अन्य ऋणों, राजस्वों, करों, उपकरों तथा अन्य दरों के प्रतिसंदाय के लिए संपत्ति कुर्क करने के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य कुर्की पर निक्षेपकर्ताओं के दावों की सीमा तक अधिमानता और पूर्विकता दी जाएगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की का कोई आदेश पारित किया है, वहां—

(क) ऐसी कुर्की तब तक जारी रहेगी, जब तक कि अभिहित न्यायालय द्वारा धारा 15 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाए;

(ख) निक्षेप लेने वाले और उस आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों का कुर्क किया गया समस्त धन या संपत्ति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी और अभिहित न्यायालय के अग्रिम आदेश तक इस प्रकार निहित रहेगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए धन को जमा करने या व्यौहार करने के प्रयोजनों के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक खाता खोलेगा, जिसका उपयोग अभिहित न्यायालय के अनुदेशों के अधीन ही किया जाएग अन्यथा नहीं।

(4) सक्षम प्राधिकारी, कुर्क की गई संपत्ति या धन का व्ययन या अन्य संक्रामण धारा 15 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन अभिहित न्यायालय के आदेश के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी, यदि वह समीचीन समझता है, तो विनश्वर मदों या आस्तियों के तुरंत विक्रय का आदेश कर सकेगा और विक्रय के आगमों का उपयोग उसी रीति में किया जाएगा, जो अन्य संपत्ति के लिए उपबंधित है।

संपत्ति की कुर्की और विक्रय की पुष्टि के लिए आवेदन।

14. (1) सक्षम प्राधिकारी, अनंतिम कुर्की के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि, जिस लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से साठ दिन तक बढ़ाया जा सकेगा, के भीतर अभिहित न्यायालय के समक्ष अनंतिम कुर्की को आत्यंतिक करने के लिए तथा इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति को लोक नीलामी द्वारा या यदि आवश्यक हो, तो प्राइवेट विक्रय द्वारा विक्रय करने की अनुज्ञा के लिए ऐसी विशिष्टियों के साथ, जो विहित की जाएं, आवेदन करेगा।

(2) ऐसी दशा में, जहां धन या संपत्ति को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी अभिहित न्यायालय द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञा पर कुर्क किया गया है, वहां ऐसी कुर्की की पुष्टि के लिए आवेदन उस न्यायालय में फाइल किया जाएगा।

अभिहित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि।

15. (1) धारा 14 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर अभिहित न्यायालय एक नोटिस—

(क) निक्षेप लेने वाले को; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति धारा 14 के अधीन कुर्क की गई है को,

जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए जारी करेगा कि कुर्की के आदेश को क्यों न आत्यंतिक कर दिया जाए तथा इस प्रकार कुर्क की गई संपत्तियों का क्यों न विक्रय कर दिया जाए।

(2) अभिहित न्यायालय, उसके समक्ष संपत्ति में किसी हित या हक का दावा करने या ऐसा होने के लिए संभाव्य होने का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को भी संपत्ति की कुर्की पर आक्षेप करने के लिए, यदि वे ऐसे करने की वांछा करते हैं, उसी तारीख को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(3) अभिहित न्यायालय, ऐसी प्रक्रिया को अंगीकृत करते हुए, जो विहित की जाएं,—

(क) कुर्की के अनंतिम आदेश को आत्यंतिक करने वाला; या

(ख) संपत्ति के किसी भाग को कुर्की से मुक्त करके उसमें फेरफार करने वाला; या

(ग) कुर्की के अनंतिम आदेश को रद्द करने वाला,

आदेश पारित करेगा और खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी आदेश की दशा में सक्षम प्राधिकारी को इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति को लोक नीलामी द्वारा अथवा, यदि आवश्यक हो, तो प्राइवेट विक्रय द्वारा विक्रय करने तथा विक्रय आगमों को वसूल करने का निदेश देगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) अभिहित न्यायालय, कुर्की के अनंतिम आदेश में फेरफार करने या उसे रद्द करने पर किसी संपत्ति को कुर्की से तब तक मुक्त नहीं करेगा, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि—

(क) निक्षेप लेने वाले या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का ऐसी संपत्ति में हित है; और

(ख) ऐसे निक्षेप लेने वाले के निक्षेपकर्ताओं को प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त रकम या संपत्ति बची रहेगी।

(5) अभिहित न्यायालय ऐसा आदेश पारित करेगा या ऐसे निदेश जारी करेगा, जो कुर्क किए गए या विक्रय से वसूल किए गए धन के निक्षेपकर्ताओं के बीच साम्यापूर्ण वितरण के लिए आवश्यक हों।

(6) अभिहित न्यायालय, इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगा।

असद्भाविक अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की।

16. (1) जहां अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि निक्षेप लेने वाले ने किसी संपत्ति को सद्भावपूर्वक अंतरित करने से भिन्न और उसके अनुरूप प्रतिफल लिए बिना अंतरित कर दिया है तो वह नोटिस द्वारा ऐसी संपत्ति के किसी अंतरिती से, चाहे उसने निक्षेप लेने वाले से संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की हो या नहीं, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने और यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि अंतरिती की उतनी संपत्ति, जो अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है, कुर्क क्यों न कर दी जानी चाहिए।

(2) जहां उक्त अंतरिती विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित नहीं होता है तथा हेतुक दर्शित नहीं करता है या जहां अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उक्त अंतरिती को संपत्ति का अंतरण सद्भावपूर्वक अंतरण नहीं था और अनुरूप प्रतिफल के लिए अंतरण नहीं किया था, तो वह उक्त अंतरिती की उतनी संपत्ति की कुर्की का आदेश करेगा, जो उसकी राय में अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है।

कुर्की के बदले संदाय।

17. (1) धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निक्षेप लेने वाला या कोई व्यक्ति या धारा 16 में निर्दिष्ट अंतरिती, जिसकी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की ही जाने वाली है या अनंतिम रूप से कुर्क कर दी गई है, कुर्की की पुष्टि से पहले किसी भी समय अभिहित न्यायालय को कुर्की के बदले का उचित मूल्य जमा करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निक्षेप लेने वाले या व्यक्ति या अंतरिती को उपधारा (1) के अधीन निक्षेप करने की अनुज्ञा देते समय अभिहित न्यायालय ऐसे निक्षेप लेने वाले या व्यक्ति या अंतरिती को लागत के मद्दे ऐसी राशि का संदाय करने का आदेश दे सकेगा, जो लागू हो।

अभिहित न्यायालय की शक्तियां।

18. (1) अभिहित न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:—

(क) निक्षेप लेने वाले के विभिन्न ऋणियों से देय शोध्यों के कथन का अनुमोदन करने की शक्ति;

(ख) निक्षेप लेने वाले की आस्तियों का मूल्य निर्धारित करने और निक्षेपकर्ताओं और उनके अपने-अपने शोध्यों की सूची को अंतिम रूप देने की शक्ति;

(ग) सक्षम प्राधिकारी को निक्षेप लेने वाले से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन सभी आस्तियों का कब्जा लेने और लोक नीलामी द्वारा या प्राइवेट विक्रय द्वारा, जो वह आस्तियों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए ठीक समझे, कुर्क की गई आस्तियों का विक्रय, अंतरण या वसूल करने तथा अपने बैंक खाते में उसके विक्रय आगमों में जमा करने का निदेश देने की शक्ति;

(घ) निक्षेप लेने वाले की आस्तियों को कब्जे में लेने और वसूल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपगत किए जाने वाले आवश्यक व्यय का अनुमोदन करने की शक्ति;

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकर्ताओं को पूर्ण संदाय करने या का आदेश पारित करने की या उस दशा में, जब इस प्रकार वसूल किया गया धन संपूर्ण निक्षेप दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहा निक्षेपकर्ताओं को आनुपतिक संदाय करने का आदेश पारित करने की शक्ति;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लिप्त होकर लाभ लिया है या हानि होने से बचा है, ऐसे उल्लंघन के द्वारा लिए गए सदोष अभिलाभ या हानि होने से बचाई गई रकम के बराबर रकम को वापस करने का निदेश देने की शक्ति; और

(छ) कोई ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति, जो अभिहित न्यायालय निक्षेप लेने वाले की आस्तियों को वसूल करने और ऐसे निक्षेप लेने वाले के निक्षेपकर्ताओं को उसका प्रतिसंदाय करने के लिए या उसके आनुषंगिक किसी अन्य विषय या विवाद्यक पर ठीक समझे।

(2) इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई और सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसे सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अभिहित न्यायालय निम्नलिखित के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा जो न्यायोचित और युक्तियुक्त समझे—

(क) कुर्क की गई और सक्षम प्राधिकारी में निहित ऐसी संपत्ति से जिसमें आवेदक हित का दावा करता है, ऐसी राशि उपलब्ध कराना, जो आवेदक और उसके कुटुंब के भरण-पोषण के लिए तथा उस स्थिति में आवेदक के बचाव से संबंधित खर्चों के लिए जहां इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध अभिहित न्यायालय में दांडिक कार्यवाहियां आरंभ की गई हो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो;

(ख) कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हित का यथासाध्य सुरक्षोपाय करना।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''निक्षेप लेने वाले'' के अंतर्गत उक्त स्थापन के निदेशक, प्रवर्तक, प्रबंधक या सदस्य या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसकी संपत्ति का आस्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई है, सम्मिलित हैं।

उच्च न्यायालय को अपील।

19. कोई भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी भी है,यदि इस अध्याय के अधीन अभिहित न्यायालय के किसी अंतिम आदेश से व्यथित है तो ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु उच्च न्यायालय उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

स्पष्टीकरण—''उच्च न्यायालय'' पद से किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जहां अभिहित न्यायालय स्थित है।

उच्चतम न्यायालय की मामलों को अंतरित करने की शक्ति।

20. (1) जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि धारा 30 में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी निक्षेप स्कीम या निक्षेप स्कीमों में कोई दोष है तो उच्चतम न्यायालय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक अभिहित न्यायालय से दूसरे अभिहित न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए।

(2) उच्चतम न्यायालय इस धारा के अधीन केवल सक्षम प्राधिकारी या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर ही कार्रवाई कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।

(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी आवेदन को खारिज किया जाता है, वहां उच्चतम न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने आवेदन का विरोध किया है, प्रतिकर के रूप में पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी राशि का, जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

अध्याय 6

अपराध और दंड

धारा 3 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

21. (1) कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप की याचना करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करता है और ऐसे निक्षेप के प्रतिदाय में या किन्हीं विनिर्दिष्ट सेवाओं के परिदान में कपटपूर्वक व्यक्तिक्रम करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो अविनियमित निक्षेप स्कीम के ग्राहकों, सदस्यों या उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से एकत्रित की गई सकल निधियों की रकम से दुगुनी रकम तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

1860 का 45 (i) "कपटपूर्वक" पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में उसका है;

(ii) जहां निक्षेप स्कीम के निबंधन पूर्ण रूप से असाध्य या अव्यवहार्य है, वहां ऐसे निबंधन कपटवचन के आशय को प्रदर्शित करने हेतु सुसंगत तथ्य होंगे।

धारा 4 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

22. कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए का उक्त धारा में निर्दिष्ट कपटपूर्वक व्यतिक्रम के द्वारा प्राप्त किए गए अभिलाभों की रकम से तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हों, तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 5 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

23. कोई व्यक्ति, जो धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

पुनः अपराध करने वालों के लिए दंड।

24. जो कोई व्यक्ति, जिसे इस अध्याय के अधीन, धारा 26 के अधीन अपराध को छोड़कर, दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गया है, तत्पश्चात् किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पचास करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

व्यष्टियों से भिन्न निक्षेप लेने वालों द्वारा अपराध।

25. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध व्यष्टि से भिन्न किसी निक्षेप लेने वाले द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय निक्षेप लेने वाले के लिए उसके कारबार के संचालन का प्रभारी था या उसके लिए उत्तरदायी था और साथ ही निक्षेप लेने वाले को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह उनके विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध व्यष्टि से भिन्न किसी निक्षेप लेने वाले द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध—

(क) निक्षेप लेने वाले की सहमति या मोनानुकूलता के साथ किया गया है; या

(ख) निक्षेप लेने वाले के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, संप्रवर्तक, भागीदार, कर्मचारी या अन्य अधिकारी के भाग पर किसी उपेक्षा के कारण हुआ है,

वहां ऐसे व्यक्ति को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह उसके विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

धारा 10 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

26. जो कोई व्यक्ति, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित संसूचना देने में असफल रहता है या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित विवरण, सूचना या विशिष्टियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अपराधों का संज्ञान।

27. धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अभिहित न्यायालय विनियामक द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय उस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा:

परंतु धारा 4 और इस धारा के उपबंध ऐसे किसी निक्षेप लेने वाले को, जो कोई कंपनी है, लागू नहीं होंगे।

अध्याय 7

अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।

28. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 22 और धारा 26 के अधीन अपराधों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। 1974 का 2

सक्षम प्राधिकारी को अपराधों की सूचना का दिया जाना।

29. पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के बारे में सूचना अभिलिखित किए जाने पर, उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराधों का अन्वेषण।

30. (1) धारा 29 के अधीन या अन्यथा सूचना की प्राप्ति पर, यदि सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अपराध किसी ऐसी निक्षेप स्कीम या स्कीमों से संबंधित है, जिसमें,—

(क) संलिप्त निक्षेपकर्त्ता, निक्षेप लेने वाले या अंतर्वलित संपत्तियां भारत में एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में या भारत से बाहर अवस्थित है; और

(ख) अंतर्वलित रकम का कुल मूल्य इतना अधिक है कि वह महत्वपूर्ण रूप से लोकहित को प्रभावित करती है,

वहां सक्षम प्राधिकारी उस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण कराए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रतिनिर्देश को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार की सहमति से लिया गया समझा जाएगा। 1946 का 25

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिनिर्देश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार अपराध के अन्वेषण को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अंतरित कर सकेगी। 1946 का 25

बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति।

31. (1) जब भी किसी पुलिस अधिकारी, जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से निम्न पंक्ति का नहीं है, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने के, जिसका वह प्रभारी है या जिससे वह सम्बद्ध है, सीमाओं के भीतर किसी स्थान में पाई जा सकती है, तब ऐसा अधिकारी पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी के लिखित प्राधिकार के साथ और यथासंभव रूप से उस चीज के बारे में, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् और इस निमित बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उससे अधीनस्थ किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,—

(क) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की अवधि में किसी ऐसे भवन, वाहन या स्थान में, जिसके लिए उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि उसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के संप्रवर्तन या संचालन के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने;

(ख) प्रतिरोध किए जाने की दशा में, किसी दरवाजे को तोड़ने और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी बाधा को हटाने के लिए और यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करके और ऐसी सहायता के साथ जिसे वह खंड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझता हो;

(ग) उक्त भवन, वाहन या स्थान, जिनका आशयित रूप से उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के संबंध में किया जा रहा है या इस प्रकार के उपयोग के लिए युक्तियुक्त संदेह है, की तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करने; और

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, निरुद्ध करने और उसकी तलाशी लेने और यदि वह उचित समझता है तो उसे अभिरक्षा में लेने और किसी अभिहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने:

परंतु यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त लिखित प्राधिकार को साक्ष्य को छिपाए जाने के लिए या अपराधी को भाग जाने का अवसर दिए बिना अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह उक्त लिखित प्राधिकार के बिना ही लिखित में आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की अवधि के किसी भी समय किसी ऐसे भवन, वाहन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी किसी निक्षेप लेने वाले, जिसके बारे में कोई शिकायत की गई है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या इस बात का कोई युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के संप्रवर्तन या संचालन से जुड़ा है, की ऐसी संपत्ति, उसके द्वारा बनाए रखे गए खातों, निक्षेपों या मूल्यवान प्रतिभूतियों पर रोक लगाने के लिए लिखित में आदेश कर सकेगा और संबद्ध बैंक या वित्तीय या बाजार स्थापन के लिए उक्त आदेश का अनुपालन आबद्धकार होगा:

परंतु कोई बैंक या वित्तीय या बाजार स्थापन किसी ऐसे खाते, निक्षेप या मूल्यवान प्रतिभूतियों पर तब तक तीस दिन की अवधि के परे रोक नहीं लगाएगा जब तक कि उसे किसी अभिहित न्यायालय के आदेश द्वारा प्राधिकृत न कर दिया जाए:

परंतु यह और कि यदि किसी समय रोकी गई संपत्ति का अभिग्रहण साध्य हो जाता है तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "खातों पर रोक लगाने" पद से यह अभिप्रेत होगा कि उक्त खाते में किसी भी संव्यवहार, चाहे वह जमा करना हो या खाते से धन निकालना हो, को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; और

(ii) "संपत्ति पर रोक लगाने" पद से यह अभिप्रेत होगा कि संपत्ति का अंतरण, परिवर्तन, व्ययन या उसके संचलन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) जहां कोई अधिकारी लिखित में कोई सूचना प्राप्त करता है या अपने विश्वास के लिए आधारों को अभिलिखित करता है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई लिखित आदेश करता है तो वह ऐसा करने के बहत्तर घंटे के भीतर उसकी एक प्रति एक सीलबंद लिफाफे में अभिहित न्यायालय को भेजेगा और भवन, वाहन या स्थान का स्वामी या अधिभोगी आवेदन किए जाने पर उसकी एक प्रति निःशुल्क अभिहित न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

1974 का 2 (4) इस धारा के अधीन सभी तलाशियां, अभिग्रहण और गिरफ्तारियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।

32. (1) अभिहित न्यायालय अभियुक्त को विचारण हेतु भेजे बिना इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान ले सकेगा। अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना।

1974 का 2 (2) धारा 31 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे,—

(क) इस अधिनियम के अधीन की गई सभी गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, अभिहित न्यायालय को एक सत्र न्यायालय समझा जाएगा और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्तियों को लोक अभियोजक समझा जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अविनियमित निक्षेप स्कीमों के विज्ञापन का प्रकाशन।

33. जहां कोई समाचारपत्र या किसी भी प्रकृति के अन्य प्रकाशन में ऐसा कोई कथन, सूचना या विज्ञापन अंतर्विष्ट है, जो किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम में निक्षेपों का संवर्धन, निक्षेपों की याचना करता है या किसी व्यक्ति को ऐसी किसी स्कीम का सदस्य बनने के लिए उत्प्रेरित करता हे, वहां समुचित सरकार ऐसे समाचारपत्र को या प्रकाशन को यह निदेश दे सकेगी कि वह उक्त कथन या विज्ञापन को पूर्ण और उचित रूप से वापस लेते हुए, निःशुल्क रूप से उसी रीति में और ऐसे समाचारपत्र या प्रकाशन में उसी स्थान पर कोई प्रकाशन करे, जो विहित किया जाए।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

34. इस अधिनियम से अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा बनाई गई विधि भी है, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना।

35. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

36. समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध, ऐसे किसी कार्य के लिए, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया है या किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

37. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व विचार में ली जाने वाली सूचना और अन्य विशिष्टयां तथा कुर्की की रीति;

(ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन साझा की जाने वाली सूचना;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना दी जाएगी;

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले आवेदन में अंतर्विष्ट विशिष्टियां;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व अभिहित न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन नियम;

(छ) धारा 33 के अधीन विज्ञापन प्रकाशित करने की रीति; और

(ज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।

राज्य सरकार, आदि की नियम बनाने की शक्ति।

38. (1) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (4) के खंड (ञ) के अधीन स्व-सहायता समूहों के लिए अधिकतम सीमा;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) धारा 2 की उपधारा (4) के खंड (ट) के अधीन प्रयोजन और अधिकतम सीमा;

(ग) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की अनंतिम कुर्की की रीति;

(घ) धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन अन्य विषय;

(ङ) धारा 7 की उपधारा (8) के अधीन अभिलेखों को परिबद्ध करने और उनकी अभिरक्षा से संबंधित नियम;

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।

39. (1) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमों का रखा जाना।

(2) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति राज्य विधान-मंडल या संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में केवल एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

40. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची में, यथास्थिति, किसी स्कीम या ठहराव को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी और इस प्रकार जोड़े जाने या लोप किए जाने पर, यथास्थिति, ऐसी स्कीम या ठहराव एक विनियमित निक्षेप स्कीम बन जाएगी या वह एक विनियमित निक्षेप स्कीम नहीं रहेगी। पहली अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति को, उसे जारी किए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

41. इस अधिनियम के उपबंध कारबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों को लागू नहीं होंगे। कतिपय निक्षेपों को अधिनियम का लागू नहीं होना।

42. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसमें विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा। कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2)इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

2019 का अध्यादेश संख्यांक 7

44. (1) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

पहली अनुसूची

[धारा 2(15) देखिए]

विनियमित निक्षेप स्कीमें

(1) विनियामक और विनियमित निक्षेप स्कीमें, निम्नलिखित सारणी में सूचीबद्ध विनियामकों और स्कीमों तथा ठहरावों को निर्दिष्ट करती हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं०	विनियामक	विनियमित निक्षेप स्कीम
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक निवेश स्कीम) विनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई, प्रायोजित या क्रियान्वित कोई स्कीम या ठहराव [जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11कक के अधीन यथा परिभाषित है]।
		(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्कीम या ठहराव।
		(iii) ऐसे कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 1993 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोर्टफोलिया प्रबंधक द्वारा निधियों का प्रबंध किया जा रहा है।
		(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन यथा अनुमोदित कर्मचारी फायदों का उपबंध करने वाली कोई स्कीम या ठहराव।
		(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य स्कीम या ठहराव।
		(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (परस्पर निधि) विनियम, 1996 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पारस्परिक निधि में अभिदानों की प्रकृति की, अभिदायों के रूप में प्राप्त कोई अन्य रकम।
2.	भारतीय रिजर्व बैंक	(i) ऐसी कोई स्कीम, जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ के खंड (च) में यथा परिभाषित किन्हीं गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य स्कीम या ठहराव ।
		(ii) ऐसी कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अधीन बैंकों द्वारा कारबार सम्पर्की और सुविधा प्रदाताओं के रूप में नियोजित व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के अधीन रहते हुए निधियां स्वीकार की जाती है।
		(iii) ऐसी कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अधीन संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के अधीन एक प्राधिकृत संदाय प्रणाली के रूप में प्रचालन करने वाले किसी प्रणाली प्रदाता द्वारा निधियां स्वीकार की जाती हैं।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(1)	(2)	(3)
		(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के अधीन विनियमित कोई अन्य स्कीम या ठहराव।
3.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अनुसार अभिप्राप्त किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसरण में कोई बीमा संविदा।
4.	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार	(i) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी या किसी ऐसी सोसाइटी, जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है, द्वारा तैयार की गई या प्रस्थापित कोई स्कीम या ठहराव।
		(ii) चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी चिट कारबार के रूप में आरंभ की गई या संचालित कोई स्कीम या ठहराव।
		(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऋण देने से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति द्वारा विनियमित कोई स्कीम या ठहराव।
		(iv) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 (1978 का 43) की धारा 11 के अधीन किसी इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के अधीन कोई स्कीम या कोई ठहराव।
5.	राष्ट्रीय आवास बैंक	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन निक्षेपों को स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई स्कीम या ठहराव।
6.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अधीन कोई स्कीम या ठहराव।
7.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन विरचित कोई स्कीम, पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम।
8.	केन्द्रीय रजिस्ट्रार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा मतदान करने वाले सदस्यों से निक्षेपों को स्वीकार करने की कोई स्कीम या ठहराव।
9.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन स्वीकार किए जाने वाले या अनुज्ञात निक्षेप।
		(ii) ऐसी कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 के अधीन किसी निधि या परस्पर फायदा सोसाइटी के रूप में घोषित किसी कंपनी द्वारा निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं।

(2) निम्नलिखित को भी इस अधिनियम के अधीन विनियमित निक्षेप स्कीमें माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) किसी कानून के अधीन गठित या स्थापित किसी विनियामक निकाय के पास रजिस्ट्रीकृत किसी स्कीम या ठहराव के अधीन स्वीकृत निक्षेप; और

(ख) कोई अन्य स्कीम, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाए।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दूसरी अनुसूची

(धारा 42 देखिए)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

1934 के अधिनियम संख्यांक 2 की धारा 45झ का संशोधन।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (खख) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 3**—किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा सदस्यों या शेयर धारकों से, जिस भी नाम से ज्ञात हों, स्वीकार की गई रकमों को, किंतु जिसके अंतर्गत शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त रकमें नहीं हैं, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप समझा जाएगा यदि ऐसे सदस्य या शेयर धारक नाममात्र के या सहबद्ध सदस्य हैं, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हों, जो ऐसी सहकारी सोसाइटी की बैठकों में पूर्ण मताधिकार नहीं रखते हैं।"।

भाग 2

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

1992 के अधिनियम संख्यांक 15 की धारा 11 का संशोधन।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में,—

(i) धारा 11 की उपधारा (4) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ) प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध किसी मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति के बैंक खाते या अन्य संपत्ति को, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अतिक्रमण में किसी भी रीति में सहयुक्त हैं, नब्बे दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए कुर्क करना:

परंतु बोर्ड, उक्त कुर्की के नब्बे दिन के भीतर धारा 26क के अधीन स्थापित, अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय से उक्त कुर्की की पुष्टि अभिप्राप्त करेगा और ऐसी पुष्टि पर ऐसी कुर्की पूर्वोक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान जारी रहेगी तथा उक्त कार्यवाहियों के समापन पर धारा 28क के उपबंध लागू होंगे:

परंतु यह और कि केवल संपत्ति, बैंक खाता या खाते या उसमें किए गए किसी संव्यवहार को, जहां तक वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अतिक्रमण में वास्तविक रूप से अंतर्वलित आगमों से संबंधित है, को कुर्क किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।";

(ii) धारा 28क में स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 4**—आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 में निर्दिष्ट ब्याज उस तारीख से प्रारंभ होगा जिसको व्यक्ति द्वारा रकम संदेय हुई थी।"। 1961 का 43

भाग 3

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 के अधिनियम संख्यांक 39 की धारा 67 का संशोधन।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 67 की उपधारा (1) में,—

(क) "सहकारी सोसाइटी बाह्य स्रोतों से निक्षेप" शब्दों के स्थान पर "सहकारी सोसाइटी अपने मत देने वाले सदस्यों से निक्षेप, बाह्य स्रोतों से" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मत देने वाले सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से निक्षेप प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।"।